प्रपत्र-क

कार्यालय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/2027 लखनऊ: दिनांक: 09/06/2021

सम्बद्धता प्रदान-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (तत्पश्चात कृपया विज्ञप्ति [illegible] कहा जाए), नई दिल्ली द्वारा संशोधित सत्र 2021-22 हेतु विज्ञप्ति तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता सम्बन्धित विषयों [illegible] किए जाने हेतु दिनांक 08/06/2021 को परिषद् मुख्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की सम्बद्धता शर्तों [illegible] संस्थानों की सम्बद्धता विषयों [illegible] प्रस्ताव प्रस्तुत समिति अपने स्तर पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता [illegible] सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पत्र संख्या [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उनके अधीन प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 1283-MRC COLLEGE, VILLAGE GHAPU , BHAMA SAGARPUR, GHAZIABAD-245206

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रदान हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

1. उत्तर प्रदेश [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी कमी शर्तों को पूर्णतः पालन करेंगे।
2. संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, बोर्ड ऑफ विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तथा अधीन तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु रूपए 30,19,50,000/- अंकित, दो अधीन पाठ्यक्रमों हेतु रूपए- 45,000.00/- अंकित एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार हेतु रूपए-22,500.00/- अंकित शुल्क ही प्रवेश प्रदान/प्रवेश में प्रभार लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के संबंध में समय समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का कुनियमितकरण किया जाता है, जो प्रवेश की तारीख से लागू होगी।
3. संस्था को 10000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उत्तर समितियों, संस्थाओं की सम्बद्ध विस्तार विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
4. संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पूर्वायों को ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश समिति के निर्णय पर जारी की जिले में उत्तर प्रदेश शासन के निर्णयानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को प्रत्येक सत्र का निर्गत सम्बन्धित के अनुक्रम विभिन्न एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
6. संस्था को [illegible] में भरतियों का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी [illegible] विनियमावली, [illegible] एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा जारी गये निर्देशों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

MRC COLLEGE

[illegible] इस डायरी महाशाखा की संस्था यदि दी गई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था [illegible] शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय [illegible] प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश शासन को कोई [illegible] है तो उनका प्रतिभूति राशि संस्था को लौटाने होगी।

✓ दिनांक इस डायरी महाशाखा संबंधित करने वाली संस्थाओं की शासन [illegible] परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा [illegible] वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु [illegible] होने के पूर्व [illegible] के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की [illegible] के प्रकाशन में [illegible] नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत [illegible] आरक्षण नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की [illegible] शिक्षक शुल्क, कर्मचारी शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था की दिव्यांग-जनों हेतु उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के बारे में [illegible] के माध्यम से समस्त आवश्यक जानकारी सूचित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासनिक कार्यालय [illegible] के लिये उपयुक्त कार्य करने वाले अधिकारी, यू.डी.ए.सी., कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का नियोजन संस्था द्वारा [illegible] अन्य मानदण्डों के संबंधित में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रबंध [illegible] अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संबंधित की मान्यता संस्था विरुद्ध की जायेगी।

✓ संस्था के प्रबंधन निधियां रोकने यदि संस्था से भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-छात्रा एन.आई.ओ.टी.टी.ए. पीजीटी.आई.टी.परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था से सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोलंकी)

सचिव

पृ.सं०- प्रविष्टि/परिषद कक्षाएं/2021/0939-0809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

[illegible] MMC COLLEGE, VILLAGE DHANA, BHAINA : ADAMPUR, GHAZIABAD- 245208

(सुनील कुमार सोलंकी)

सचिव

MMC COLLEGE
Dhana, Sahibabad (Ghaziabad)

कार्यालय,
सचिव, प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/1171 दिनांक: 15-9-2020

-:कार्यालय ज्ञाप:-

[illegible] प्रारंभिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/[illegible] प्रारंभिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा इन टीचर एजूकेशन (प्रारंभिक शिक्षा) [illegible] की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को लखनऊ, प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में [illegible] प्रारंभिक के बिन्दुवार सुनी गई। विषय में प्रारंभिक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रारंभिक नई संस्थाओं को सम्बद्ध [illegible]/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित प्रकरण भरी गई पत्र विचार का [illegible] सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पृष्ठ-2 में [illegible] प्रारंभिक द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रावधान रखा गया। सम्बद्धता समिति [illegible] सत्र सत्र विस्तार/दोनों पत्र विस्तार निर्णय लिया गया :-

" किसी संस्था ने अपनी निर्धारित प्रपत्र प्रपत्रों [illegible] पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु सीसीआरटी द्वारा जारी [illegible] अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में सीसीआरटी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम जारी शर्त के अनुरूप प्रवेश क्षमता के सहित सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से सीसीआरटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुरूप में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक [illegible] के अनुक्रम में विषय संस्था को प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-[illegible] हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रवेश संख्या	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	क्षमता	सीसीआरटी द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	सीसीआरटी/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible] प्रारंभिक शिक्षा, [illegible], लखनऊ, लखीमपुर।	डी0एल0एड0 (2 वर्ष)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सीसीआरटी/सीसीटीई द्वारा निर्धारित की गयी [illegible] का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अपने प्रपत्र प्रारंभिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 तथा [illegible] शिक्षा परिषद जिलाध्यक्ष, [illegible] जिलाध्यक्ष-मुख्य [illegible] द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदेशों का [illegible] समिति द्वारा मुख्य नियमित समिति द्वारा निर्धारित मुख्य शैक्षिक समिति पाठ्यक्रमों हेतु [illegible] [illegible] हेतु [illegible] समिति पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु [illegible]

MAAC COLLEGE
Etawa Samvanaman (Hatari)

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

(डा0 आनन्दमयी सिंह)
परिषद

पृ0सं0- [illegible]/परिषद/[illegible]/ [illegible] दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि-[illegible], [illegible], [illegible]।

(डा0 मीनाक्षी सिंह)
परिषद

कार्यालय

चिकित्सा प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रा0शि0परिषद/सम्बद्धता/2022/[illegible]

लखनऊ: दिनांक: [illegible]2022

सम्बद्धता आदेश

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल इंजीनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न तकनीकी-व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन [illegible] के नियम/शर्तों के अनुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक [illegible]2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नये नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित अन्य [illegible] पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न [illegible] को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनकी अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1203-MKN COLLEGE

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2021-22 में प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1983, विनियमावली 2000, डी.बी.एस.ए. विनियमावली 2010 तथा समय-समय पर दिये गये शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क और अधिक प्रवेश पाठ्यक्रमों हेतु रु0 [illegible] प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00, प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के [illegible] पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष मूल्यांकन की प्रवेश प्रसंस्करण के प्रारंभ किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रसंस्करण में शुल्क के अलावा में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परिषद निर्धारित अवधि द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु वर्तित का पुनर्निधारण किया जाता है, तो उसी की भविष्यगत दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संतुलित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार रिसेटिंग एवं सम्बद्धता मूल्यांकन अथवा अन्य शुल्क होगा

MKN COLLEGE
Mohan Nagar Ghaziabad (Nagar)

✓ संबद्धता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न[illegible] एवं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, उ०प्र०, बेसिक प्रारंभिक परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्रारंभिक शिक्षा [illegible] द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों, निर्देशों, आदेशों एवं नियमों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

✓ यदि संस्थान का [illegible] से अनुबंधित किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपरोक्त शासन का हीन और विधिक भाग में किसी भी नियमों के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, बेसिक प्रारंभिक परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कार्य किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूलि कार्यवाही अथवा निर्णय लिया जाता है तो उसकी प्रतिकूलि संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ संस्थाओं को बेसिक प्रारंभिक परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु आवश्यक कार्यवाहियां [illegible] होने के पूर्व [illegible] से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उचित प्रवेश की [illegible] के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश, अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

✓ उक्त प्रवेश माध्यम द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेश, शासन निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

✓ संस्था को अपने विद्यालय पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे [illegible] की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, कार्य, पाठ्यक्रम, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का [illegible] प्रदर्शन करना होगा।

✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ विशेष देखरेख के माध्यम से छात्रों आवश्यक सहायता सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रकाशित संबंधित तथ्यों को सामने लाने हेतु नियंत्रण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

✓ संस्था के औचक अथवा नियमित के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा [illegible] के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो उसकी सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एस०आर० खान)

सचिव

पृ०सं०- प्रारंभिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7618-8455

दिनांक: 30/06/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक,MIMC COLLEGE

(एस०आर० खान)

सचिव

MIMC COLLEGE
Sharda Gomtinagar Lucknow